न्यायालय सत्र न्यायाधीश बाराबंकी ।
उपस्थित –प्रतिमा श्रीवास्तव, एच0जे0एस0
सत्र परीक्षण संख्या–1520/2025

CNR No-UPBB010058682025

राज्य उत्तर प्रदेश–––––––––––––––––अभियोजन ।

प्रति

1–परवेश लोध पुत्र रामलखन निवासी कस्बा इचौली, टिकैतनगर, थाना टिकैतनगर, जनपद बाराबंकी।

2–मोनू पुत्र परवेश निवासी मो0 मौलाना, कस्बा इचौली टिकैतनगर, थाना टिकैतनगर, जनपद बाराबंकी।

अपराध संख्या–278/2022
धारा–323,504,506,307 भा0दं0सं0
थाना–टिकैतनगर,
जिला–बाराबंकी ।

<u>निर्णय</u>

1– थाना टिकैतनगर जिला बाराबंकी की पुलिस द्वारा अभियुक्तगण परवेश लोध व मोनू के विरूद्ध अपराध संख्या–278/2022 धारा–323,504,506,307 भा0दं0सं0, थाना टिकैतनगर, जिला बाराबंकी के अन्तर्गत आरोपपत्र न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या–25, बाराबंकी के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

2– अभियुक्तगण परवेश लोध व मोनू को अभियोजन प्रपत्रों की प्रतियां धारा 207 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रदत्त कर मामले को अन्नयतः सत्र परीक्षणीय होने के आधार पर दिनांक 28.07.2025को विचारण हेतु सत्र न्यायालय, बाराबंकी को सुपुर्द किया गया जिसके आधार पर दिनांक 07.08.2025 को यह प्रकरण सत्र परीक्षण संख्या–1520/2025 के रूप में संस्थित किया गया।

3– अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा सुभाषचन्द्र ने इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने पर दर्ज करायी कि दिनांक 15.08.2022 सायं लगभग 6 बजे को वह बाजार से

वापस घर जा रहा था तभी पक्का ताल बहादुर होटल पर पहले से घात लगाकर बैठे परवेश पुत्र लखन, मोनू पुत्र परवेश व एक अज्ञात व्यक्ति पता–कस्बा इचौली, बाराबंकी जान से मार डालने की नीयत से मीठा बनाने वाली धारदार करछुल व लाठी से भद्दी भद्दी गालियां देते हुए मारने लगे, बीच बचाव के बाद जान से मारने की धमकी देते हुए विपक्षीगण भाग गये। उसके सिर पर गहरी चोट, दाहिने हाथ की नाड़ी पर लगे कट से नस कटने से काफी खून बह रहा है। अन्य अन्दरूनी चोटें आयी हैं।

4– वादी मुकदमा द्वारा दी गयी तहरीर प्रदर्श क–1 के आधार पर थाना टिकैतनगर जिला बाराबंकी में अपराध संख्या–278/2022 धारा 323, 504, 506, 307 भा0दं0सं0के अन्तर्गत दर्ज कर विवेचना की गयी और विवेचनोपरांत विवेचक द्वारा पर्याप्त साक्ष्य अभियुक्त परवेश लोध व मोनू के विरूद्ध संकंलित करते हुये आरोपपत्र न्यायालय प्रेषित किया गया।

5– अभियुक्तगण परवेश लोध व मोनू को दिनांक–20.08.2025 को धारा– 323/34, 504, 506, 307/34 भा0दं0सं0 के आरोपों से आरोपित किया गया जिससे अभियुक्तगण ने इन्कार किया और विचारण की मांग की।

6– अभियोजन कथानक को साबित कराये जाने हेतु पी0डब्लू0–1 सुभाषचन्द्र, पी0डब्लू0–2 डा0 संजय कुमार गुप्ता, पी0डब्लू0–3 डा0 आलोक कुमार सिंह, पी0डब्लू0–4 कां0 बृजेश कुमार सम्मन सेल, पी0डब्लू0–5 संजय कुमार वर्मा निरीक्षक को परीक्षित कराया गया है।

7– अभियोजन की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श क–1 तहरीर वादी, प्रदर्श क–2 पूरक चिकित्सीय आख्या, प्रदर्श क–3 रेफर स्लिप, प्रदर्श क–4 मेडिकल आख्या, प्रदर्श क–5 प्रथम सूचना रिपोर्ट, प्रदर्श क–6 प्रथम सूचना रिपोर्ट की जीडी संख्या 48, प्रदर्श क–7 नक्शानजरी घटनास्थल, प्रदर्श क–8 आरोपपत्र को साबित कराया गया है।

08– अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये साक्षीगण के मुख्य बयान निम्नवत हैं–

09– अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी0डब्लू0–01 सुभाषचन्द्र ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि घटना को लगभग 3 वर्ष हो गए। उस दिन

वह घर से सेलेण्डर लाने गया था, वहीं से आ रहा था। शाम को लगभग 5.30–6.00 बजे था। जब वह पक्के ताल बहादुर होटल के सामने पहुंचा। उसने चाय पीने के लिए साइकिल खड़ी ही की थी तभी वहीं पर बैठे मोनू तथा परवेश अपने हाथों में लिए मिठाई बनाने वाले खुरचने तथा लाठी से उसे मारने लगे। मोनू के हाथ में मिठाई बनाने वाला खुरचना तथा परवेश के हाथ में लाठी थी। दोनों अभियुक्त उसके पड़ोसी हैं तथा महिलाओं में हुए आपसी विवाद से उससे रंजिश मानते थे। पहले मोनू ने सिर पर मारा फिर परवेश ने उसे मारा जिससे उसके हाथ में गंभीर चोट आई। सिर में आई चोटों व अन्य चोटों के कारण उसे चक्कर आ गया और वह गिर गया। आसपास के लोग दौड़े तो अभियुक्तगण गालियाँ तथा धमकी देते हुए भाग गए। मौके पर मौजूद लोग उसे टिकैतनगर सरकारी अस्पताल ले गये जहां पर उसे होश आया। रात लगभग 11 बजे वह थाना टिकैतनगर पहुंचा, वहीं पर बाहर मिले एक व्यक्ति से उसने बोलकर प्रार्थना पत्र लिखवाया था। उस व्यक्ति ने प्रार्थनापत्र पढ़कर उसे सुना दिया था तब उसने प्रार्थनापत्र पर अपना निशानी अंगूठा लगाया था तब थाना टिकैतनगर में प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाने के लिए प्रस्तुत किया था। साक्षी ने तहरीर शामिल पत्रावली को देखकर तहरीर तथा अपने निशानी अगूंठा की पहचान की जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया।

10– अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी0डब्लू0–02 डा0 संजय कुमार गुप्ता ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 18.08.2022 को वह सीएचसी टिकैतनगर बाराबंकी में चिकित्साधिकारी के पद पर था। चोटहिल सुभाष चन्द्र लोधी पुत्र नागेश्वर उम्र लगभग 46 वर्ष कस्बा इचौली, टिकैतनगर बाराबंकी जिनका पूर्व में दिनांक 15.08.2022 को डा0 आलोक कुमार द्वारा मेडिको लीगल आख्या तैयार की गई थी जिसको हरिश्चन्द्र चौरसिया उसके पास लेकर आए थे। मजरूब सुभाष चन्द्र लोधी की पूरक चिकित्सीय आख्या हेतु रिपोर्ट उसे दी गई। मजरूब का परीक्षण कर उसने पूरक मेडिको लीगल आख्या तैयार की थी। मजरूब के शरीर पर निम्न चोटें पाई गई–

1. 2.5 सेमी X 0.2 सेमी की फटी हुई चोट जो खाल तक गहरी थी, दाहिने हाथ की बायीं भुजा के पास

में दाहिनी कलाई से 10 सेमी दूर मौजूद थी। उक्त चोट को ध्यान में रखते हुए एक्स–रे हेतु जिला चिकित्सालय रेफर किया गया।

2. 4 X 3 सेमी की खाल तक गहरी फटी हुई चोट सिर के दाहिनी ओर दाहिने कान के च्पददं से 10 सेमी ऊपर मौजूद थी। चोट को ध्यान में रखते हुए सिर के सीटी स्कैन हेतु रेफर किया गया था।

उपरोक्त दोनों चोटें क्रमशः X-Ray-CT स्कैन एवं आगे के इलाज के लिए जिला अस्पताल बाराबंकी रेफर किया गया था। साक्षी ने पूरक चिकित्सीय आख्या एवं रेफर स्लिप को देखकर अपने हस्तलेख एवं हस्ताक्षर की शिनाख्त की जिस पर क्रमशः प्रदर्श क–2, प्रदर्श क–3 डाला गया।

11.– अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी0डब्लू0–03 डा0 आलोक कुमार सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 15.08.2022 को वह सीएचसी टिकैतनगर में चिकित्साधिकारी के पद पर तैनात था। इस दिन चोटहिल सुभाष चन्द्र लोधी पुत्र नागेश्वर उम्र लगभग 46 वर्ष पुरुष, निवासी कस्बा इचौली, टिकैतनगर, बाराबंकी को समय लगभग 07.15 पीएम पर सी0पी0 सुमंत कुमार ने उसके समक्ष प्राइमरी मेडिको लीगल आख्या एवं इलाज हेतु प्रस्तुत किया। उसने मजरूब के शरीर पर निम्न चोटें पाई गयी –

1. 4 X 0.3 सेमी की खाल तक गहरी फटी हुई चोट सिर के दाहिनी ओर दाहिने कान के च्पददं से 10 सेमी दूर Irregular Margin के साथ मौजूद थे। खून का थक्का मौजूद था।
2. 2.5 सेमी✕0.2 सेमी की खाल तक गहरी फटी हुए चोट दाहिनी fore arm पर मौजूद थी। यह दाहिनी कलाई के जोड़ से 10 सेमी नीचे थी। Margin irregular थी।
3. पूरे शरीर में दर्द की शिकायत थी। चिकित्सक की राय में चोट संख्या–1 व 2 साधारण प्रकृति की सख्त कुंदालय से आई प्रतीत हो रही थी। चोट संख्या–3 में कोई बाहरी चोट नहीं थी। समस्त चोटें ताजी थी। साक्षी ने मेडिकल आख्या को अपने हस्तलेख एवं हस्ताक्षर में तैयार की थी, मेडिकल आख्या पर प्रदर्श क–4 डाला गया।

12– अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी0डब्लू0–04 कां0 बृजेश कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में

कथन किया है कि दिनांक 15.08.2022 को वह थाना टिकैतनगर बाराबंकी में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत था। उसकी ड्यूटी कार्यलेख पर लगी थी। इस दिन सुभाष चन्द्र लोधी पुत्र नागेश्वर स्वयं का अंगूठा लगा एक हस्तलिखित प्रार्थनापत्र लेकर कार्यालय आया था। प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के आधार पर उसने कप्यूटर पर अक्षरशः बोल बोल कर अपराध संख्या–278/2022 अन्तर्गत धारा–307, 324, 323, 504, 506 भा0दं0सं0 इसी दिन समय 22.56 बजे दर्ज की थी। उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति देकर वादी को भेजा गया था। साक्षी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट को देखकर अपने निशानी अंगूठे की शिनाख्त की जिस पर प्रदर्श क–5 डाला गया। जी०डी पर प्रदर्श क–6 डाला गया।

13– अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी0डब्लू0–05 संजय कुमार वर्मा (निरीक्षक) ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि मुकदमा उपरोक्त में पूर्व विवेचक अमित कुमार पाण्डेय द्वारा सी0डी0–5 किता किया गया था। उनके स्थानान्तरण के पश्चात दिनांक 04.09.2022 को विवेचना उसे प्राप्त हुई एवं पूर्व किता पर्चों का अवलोकन किया। दिनांक 14.09.2022 को मुकदमा से संबंधित ग–त्ंल एवं स्कैन रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसका उल्लेख सी०डी० के पर्चा सं0 18 में दर्ज किया। दिनांक 15.09.2022 को सी.डी 8 किता दिया। इस दिन वादी मुकदमा की निशादेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर उसका मानचित्र तैयार किया था। साक्षी ने नक्शा नजरी पर अपने हस्तलेख एवं हस्ताक्षर की शिनाख्त की। नक्शानजरी पर प्रदर्श क–7 डाला गया। अब तक की तमामी विवेचना बयान वादी एवं गवाहान, निरीक्षण घटनास्थल, अवलोकन मेडिकल एवं एक्सरे एवं सीटी स्कैन रिपोर्ट सहित तमाम संकलित साक्ष्यों से अभियुक्तगण परवेश लोधी पुत्र राम लखन एवं मोनू पुत्र परवेश लोधी के विरुद्ध धारा 307, 323, 504, 506 भा0दं0सं0 का अपराध बखूबी प्रमाणित पाया गया। साक्षी ने आरोप पत्र को देखर अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त की जिसे प्रदर्श क–8 के रूप में साबित किया गया।

14– अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा 313 द0प्र0सं0 दिनांक 18.05.2026 को दर्ज किया गया। अभियुक्तगण द्वारा अभियोजन कथानक से इन्कार करते

हुये स्वयं को निर्दोष बताया तथा कथन किया गया कि वादी मुकदमा व प्रार्थीजन के मध्य काफी समय से आने जाने वाले रास्ते उसके बगल नाली में बहने वाले पानी को लेकर विवाद चला आ रहा है। वादी मुकदमा शराब पीकर अक्सर नाली का पानी बन्द करता है। मना करने पर गन्दी गन्दी मां बहन की गालियां देना तथा किसी न किसी मुकदमे में फंसाकर जेल भेजने की धमकी देता है।

15— अभियुक्तगण की ओर से सफाई साक्ष्य में पर्याप्त अवसर के उपरांत कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

16— प्रभारी शासकीय अधिवक्ता (फौ0) तथा अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्क को सुना व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक व अभिलेखीय साक्ष्य का सम्यक अवलोकन किया।

17— अभियुक्त की ओर से तर्क किया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अत्यधिक बिलम्ब से है। अभियोजन साक्ष्य से अभियोजन कथानक प्रमाणित नहीं है। पत्रावली पर मात्र वादी की साक्ष्य है जिसका समर्थन किसी अन्य स्वतन्त्र साक्षी द्वारा नहीं किया गया है। चोटहिल की चोटें साधारण प्रकृति की हैं। अभियोजन की ओर से कथित घटना कारित करने का हेतुक प्रमाणित नहीं किया गया है। कथित घटना का स्वतन्त्र साक्ष्य नहीं है। उपरोक्त आधार पर अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने की याचना की गयी।

18— अभियोजन की ओर से तर्क किया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। चोटहिल की चोटों को चिकित्सीय प्रपत्रों व चिकित्सक के बयान से प्रमाणित है। घटना के हेतुक के सन्दर्भ में अभियुक्त द्वारा स्वयं अपने बयान धारा 313 दं0प्र0सं0 में उल्लिखित किया गया है। वादी द्वारा अभियोजन कथानक को अपने साक्ष्य से प्रमाणित किया गया है और एकल साक्ष्य ही अभियुक्त को दोषसिद्ध करने के लिये पर्याप्त है। कथित घटना का यदि कोई स्वतन्त्र साक्षी परीक्षित नहीं कराया गया है तो अभियुक्त को यह अवसर प्राप्त था कि वह अपने साक्ष्य से यह साबित करता कि उसके द्वारा कोई घटना कारित नहीं की गयी और कथित घटनास्थल पर वह उपस्थित नहीं था। उपरोक्त आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध किये जाने की याचना की गयी।

19— उभय पक्ष के तर्क के आलोक में देखा जाना है कि **क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट अत्यधिक बिलम्ब से दर्ज करायी गयी है तथा इसका लाभ अभियुक्त पाने का पात्र है** ?

20— प्रथम सूचना आख्या के सन्दर्भ मे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **1— भजन सिंह उर्फ हरभजन सिंह व अन्य बनाम राज्य हरियाणा 2011(7) एससीआर 1**, **2—अशोक कुमार चौधरी बनाम स्टेट आफ बिहार 2008 (61) ए0सी0सी0 972** तथा **3—अनिल रानी बनाम स्टेट आफ बिहार (2001) 7 एस0सी0सी0 318** में यह अवधारित किया गया है कि—प्रथम सूचना रिपोर्ट बिलम्ब से लिखाये जाने के कारण अभियोजन पक्ष के विरूद्ध कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, यदि अभियोजन पक्ष द्वारा विश्वसनीय साक्ष्य के माध्यम से देरी का कारण स्पष्ट कर दिया गया हो।

21— पत्रावली पर वादी द्वारा दी गयी तहरीर प्रदर्श क—1 उपलब्ध है, जिसे वादी द्वारा अपने साक्ष्य से प्रमाणित किया गया है। प्रदर्श क—1 में वादी द्वारा यह उल्लिखित किया गया है कि दिनांक 15.08.2022 की शाम 6 बजे जब वह बाजार से घर आ रहा था तो पक्का ताल बहादुर होटल से पहले से घात लगाकर बैठे परवेश, मोनू व एक अन्य व्यक्ति जान से मारने की नियत से मीठा बनाने वाली धारदार कलछुल व दावी से गालियां देते हुये मारने लगे और बीच बचाव करने पर जान से मारने की धमकी देकर भाग गये। उसके सिर पर गहरी चोट, दाहिने हाथ की नाड़ी पर लगे कट से, नस फटने से काफी खून बह रहा है, अन्य अन्दरूनी चोटें आयीं हैं। वादी द्वारा लिखित तहरीर दिनांक 15.08.2022 को थाना टिकैतनगर बाराबंकी में दी गयी है। वादी की तहरीर प्रदर्श क—1 के आधार पर दिनांक 15.08.2022 को समय 22.56 बजे प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 307, 324,323,504,506 भा0दं0सं0 में दर्ज की गयी जिसका उल्लेख सम्बन्धित थाने की जीडी में क्रम संख्या—48 दिनांक 15.08.2022 पर है। अभियोजन की ओर से पी0डब्लू0—4 कां0 बृजेश कुमार को परीक्षित कराया गया है जिनके द्वारा वादी की तहरीर पर कम्पयूटर पर बोल बोलकर चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने का कथन करते हुये कायमी जीडी व चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रदर्श क—5 व 6 के रूप में प्रमाणित

किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट आपराधिक विधि को क्रियाशील किये जाने की सूचना मात्र होता है और प्रथम सूचना रिपोर्ट में समस्त तथ्यों के कथन की अपेक्षा नहीं की जाती है।

22— **भगवत जगन्नाथ मार्कड बनाम महाराष्ट्र राज्य(2016) 10 एस0सी0सी0 537** तथा **जरनैल सिंह बनाम पंजाब राज्य 2009 (6) सुप्रीम 536** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध से सम्बन्धित विश्व शब्दकोष (Encyclopedia) नहीं होता है। **बबले बनाम छत्तीसगढ़ राज्य ए0आई0आर0 2012 एस0सी0 2621** के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि यह स्थापित विधिक सिद्धांत है कि धारा 154 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत दर्ज की गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट मौलिक साक्ष्य का अंश नहीं है।

23— प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार सम्बन्धित थाना जहां पर वादी द्वारा लिखित तहरीर दी गयी है, घटनास्थल से 3 किलोमीटर दूर है। वादी द्वारा अपनी तहरीर प्रदर्श क—1 में घटना कारित किये जाने के सन्दर्भ में स्थान, समय, उपहति कारित के शस्त्र, शरीर पर आयी चोटों आदि का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। प्रश्नगत मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट के विलम्ब से लिखाये जाने का जो तर्क अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत किया गया है उसका कोई लाभ उसे प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि वादी द्वारा थाने पर सूचना घटना के बाद त्वरित रूप से चोटहिल हालत में जाकर दी गयी है। अतः अभियोजन यह सिद्ध करने में सफल रहा है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में कोई बिलम्ब कारित नहीं हुआ और इसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना विधि सम्मत नहीं है।

24— प्रकरण में यह देखा जाना है कि **क्या वादी मुकदमा को कथित घटना में अभियुक्तगण द्वारा उपहति कारित किये जाने से चोटें आयीं और उक्त चोटों के बावत चिकित्सीय प्रपत्रों को अभियोजन संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है** ?

25— पत्रावली के परिशीलन से यह परिलक्षित हो रहा है कि वादी मुकदमा द्वारा अपनी तहरीर प्रदर्श क—1 में इस तथ्य का उल्लेख किया गया है कि पहले से घात

लगाकर बैठे परवेश, मोनू व एक अन्य व्यक्ति जान से मारने की नियत से मीठा बनाने वाली धारदार कलछुल व दावी से गालियां देते हुये मारने लगे । उसके सिर पर गहरी चोट, दाहिने हाथ की नाड़ी पर लगे कट से, नस फटने से काफी खून बह रहा है, अन्य अन्दरूनी चोटें आयीं हैं।

26— पत्रावली के अवलोकन से यह परिलक्षित हो रहा है कि कथित घटना के पश्चात पुलिस द्वारा चोटहिल को चिकित्सीय उपचार हेतु सीएचसी टिकैतनगर ले जाया गया जहां पर प्रारम्भिक उपचार के दौरान चोटहिल/वादी के सिर पर दाहिनी तरफ 4सेमी x 3 सेमी x स्किन डीप पाया गया जिस पर खून का थक्का जमा हुआ था तथा दूसरी चोट दाहिने हाथ पर 2.5 सेमी x 0.2सेमी x स्किन डीप पाया जिस पर खून का थक्का जमा हुआ था और हल्का हल्का खून बह रहा था। उक्त दोनों चोटों को उचित उपचार हेतु चोटहिल को जिला अस्पताल बाराबंकी रेफर किया गया। वादी के शरीर पर आयी चोटों के बावत अभियोजन की ओर से पी0डब्लू0—2 डा0 संजय कुमार गुप्ता को परीक्षित कराया गया है जिनके द्वारा कथन किया गया है कि दोनों चोटों को ध्यान में रखते हुये एक्स—रे व सीटी स्कैन हेतु जिला अस्पताल बाराबंकी के लिये रेफर किया गया। इस साक्षी द्वारा पूरक आख्या व रेफर स्लिप को क्रमशः प्रदर्श क—2 व 3 के रूप में प्रमाणित किया है। पी0डब्लू0—3 डा0 आलोक कुमार सिंह द्वारा अपने साक्ष्य से प्रारम्भिक उपचार करने का कथन करते हुये चिकित्सीय आख्या प्रदर्श क—4 को प्रमाणित किया गया है। इस चिकित्सक द्वारा चोटहिल की दोनों चोटों को Irregular Margin होने का उल्लेख किया गया है। पुलिस प्रपत्रों के आधार पर यह भी परिलक्षित हो रहा है कि चोटहिल के सिर पर कुल 07 टांके व हाथ में कुल 04 टांके लगे हैं।

27— उपलब्ध चिकित्सीय प्रपत्र व चिकित्सकगण के बयान से यह तथ्य प्रमाणित हो रहा है कि वादी ने अपने तहरीर में शरीर के जिस जिस स्थान पर चोट आने का उल्लेख किया गया था वहां वहां पर चोटें आयीं हैं। वादी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि पहले सोनू ने मारा फिर परवेश ने मारा। उसके सिर माथे व हाथ पर चोट लगी थी।

28— चिकित्सीय रिपोर्ट अपने आप में ठोस सबूत नहीं है। इसका निर्धारण स्वतन्त्र साक्षियों के मौखिक साक्ष्य के साथ–साथ संबंधित चिकित्साधिकारी के मौखिक साक्ष्य के आधार पर किया जाना चाहिए। चिकित्सक का साक्ष्य चोटहिल के शरीर पर आयी चोटों की जांच के आधार पर उनका पिछला बयान है। यह ठोस प्रमाण नहीं है। न्यायालय में चिकित्सक का बयान ही एकमात्र ठोस प्रमाण है। विशेषज्ञ साक्षी से अपेक्षा की जाती है कि वह न्यायालय के समक्ष सभी सामग्रियों को रखे, जिसमें वे सभी तथ्य सम्मिलित हों, जो उसे निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए प्रेरित करते हैं। इस प्रकरण में चिकित्सक साक्षी द्वारा न्यायालय के समक्ष जो साक्ष्य दिया गया है उससे यह परिलक्षित होता है कि चोटहिल वादी को कथित घटना में गम्भीर चोटें आयीं जो सिर पर थी। सिर मर्मस्थल की श्रेणी में आता है और पुलिस प्रपत्रों के अनुसार चोटहिल के सिर में 7 टांके लगे थे और हाथ में भी 04 टांके लगे थे।

29— इस प्रकार वादी को आयी चोटों के बावत जो भी साक्ष्य उपलब्ध है उसके आधार पर यह प्रमाणित हो रहा है कि कथित घटना में अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा को जान से मारने की नियत से उस पर मिठाई बनाने वाली कलछुल व लाठी से उपहति कारित किया गया जिससे उसके सिर व हाथ में गम्भीर चोटे आयीं हैं। बचाव पक्ष द्वारा ऐसा कोई तर्क प्रस्तुत नहीं किया जा सका जिससे यह परिलक्षित हो कि कथित घटना में वादी को चोटें न आयीं हों।

30— बचाव पक्ष के तर्क के आलोक में देखा जाना है कि **क्या अभियुक्तगण का कोई हेतुक वादी मुकदमा को जान से मारने की नियत से था** ?

31— **उजागर सिंह बनाम स्टेट आफ यू0पी0 ए0आई0आर0 2009 एस0सी0 (सप्लीमेंटरी) 190** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया है कि हेतुक अभियुक्त के मन में रहता है तथा शायद ही इसे शुद्धता की मात्रा के साथ भलीभांति समझा जा सकता है।

32— विधि का यह स्थापित सिद्धांत है कि किसी भी आपराधिक प्रकरण में घटना के हेतुक का महत्वपूर्ण स्थान होता है। किसी आपराधिक घटना का हेतुक क्या

है, इसका कोई साक्ष्य सम्पूर्ण सटीकता के साथ प्रस्तुत नहीं किया जा सकता किन्तु अभियोजन को यह स्थापित करने का प्रयास करना चाहिये कि अभियुक्तगण द्वारा चोटहिल को चोट पहुंचाये जाने का कुछ प्रयोजन था।

33— माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **राज्य उत्तर प्रदेश बनाम अजीत सिंह (2004) 4 एससीसी 5189** में अवधारित किया गया है कि—आपराधिक कार्य किसी न किसी आशय से किया जाता है, लेकिन इसका यह निष्कर्ष नही निकलता कि यदि अभियोजन पक्ष अपराध करने के लिये अभियुक्त को सटीक आशय को साबित करने में विफल रहा है तो कोई आपराधिक अपराध हुआ ही नही हो सकता। जब अभियोजन पक्ष पीड़ित व्यक्ति के द्वेष की सम्भावना दिखाने में सफल हो जाता है तो अपराध ी के मन में अपराध करने के लिये मजबूर करने वाली मानसिकता के तरीके को उस हद तक अभिलेख पर प्रस्तुत न किये जाने की असमर्थता को अभियोजन पक्ष की कमजोरी नहीं माना जा सकता। अभियोजन पक्ष के लिये यह असम्भव है कि वह किसी अपराधी की उस व्यक्ति के प्रति, जिसके साथ उसने अपराध किया है, मानसिक प्रवृत्ति के पूर्ण आयाम को उजागर कर सके। अभियुक्त की यदि पीड़ित से रंजिश थी, तो हेतुक के लिये वह पर्याप्त है, क्योंकि किसी व्यक्ति के दिमाग के अंदर झांकना नामुमकिन है।

34— वादी मुकदमा पी0डब्लू0—1 सुभाष चन्द द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है। इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि इस घटना से पहले उसके व मोनू के घर से लड़ाई झगड़ा लगभग दस साल पहले हुआ था, तभी से रंजिश चली आ रही है। अभियुक्तगण द्वारा अपने बयान धारा 313 दं0प्र0सं0 में अभियोजन कथानक/साक्ष्य से इन्कार करते हुये यह कथन किया गया है कि वादी मुकदमा व अभियुक्तगण से आने जाने वाले रास्ते में बहने वाले पानी को लेकर विवाद चला आ रहा है। इस प्रकार वादी के द्वारा प्रतिपरीक्षा के दौरान किये गये कथन की पुष्टि अभियुक्तगण द्वारा अपने बयान धारा 313 दं0प्र0सं0 में किये गये कथन से होती है। अतः उपरोक्त विधि व्यवस्था के आलोक में यह प्रमाणित है कि अभियुक्तगण की रंजिश, वादी मुकदमा से पूर्व से थी और उक्त रंजिश

के कारण, अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा को जान से मारने की नियत से उपहति कारित किया गया।

35— **महाराष्ट्र राज्य बनाम तुलसीराम भानुदास कामले, ए0आई0आर0 2007 (एससी) पृष्ठ—3042** में माननीय न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि रंजिश एक दोधारी तलवार होती है। रंजिश के कारण एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ घटना कारित कर सकता है और दूसरा व्यक्ति बिना घटना कारित किये हुए पहले व्यक्ति को झूठा फंसा भी सकता है। बचाव पक्ष द्वारा स्वयं प्रश्नगत आपराधिक घटना को रंजिश के आधार पर कारित किया जाना बताया गया है।

36— इस विन्दु पर **करन सिंह बनाम स्टेट आफ हरियाणा व अन्य 2014(1)सीसीएससी 49(एससी**) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से अभिमत व्यक्त किया गया है जिसमें साक्षियों तथा अभियुक्तगण के मध्य पूर्व के विवाद के आधार पर दिये गये बयान को विश्वसनीय माना गया है। ऐसी स्थिति में इस मामले के वादी द्वारा प्रस्तुत बयान सहज स्वाभाविक एंव विश्वसनीय पाये जाने के कारण उसके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को स्वीकार किये जाने का समुचित आधार प्राप्त है।

37— उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह प्रमाणित है कि वादी मुकदमा व अभियुक्त के मध्य रंजिश थी और इसी रंजिश के कारण, अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा को जान से मारने की नियत से उपहति कारित किया गया जिससे उसके शरीर के मर्मस्थल सिर पर चोटें आयीं।

38— बचाव पक्ष का तर्क है कि वादी का एकमात्र साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है जिसका समर्थन किसी अन्य स्वतन्त्र साक्षी द्वारा नहीं किया गया है, अतः उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता जबकि अभियोजन का तर्क है कि वादी कथित घटना का चोटहिल है और उसके द्वारा कथित घटना के तत्काल बाद सम्बन्धित थाने पर सूचना दी गयी है। अभियोजन कथानक को वादी ने अपने साक्ष्य से साबित किया है और एक मात्र साक्षी के साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण द्वारा कथित घटना कारित किया जाना साबित है, जिसकी पुष्टि तथ्य के परीक्षित अन्य साक्षीगण के साक्ष्य से होती है।

39— **राज्य उत्तर प्रदेश बनाम किशन चन्द 2004 एससीसी 629** में माननीय न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि चोटहिल साक्षी की साक्ष्य का अपना महत्व व प्रभाव होता है। चोटहिल को कथित घटनास्थल पर, कथित दिनांक व समय पर उपस्थिति ही अभियोजन के लिये पर्याप्त है। चोटहिल साक्षी किसी अन्य व्यक्ति को अपराध में फंसाने के आशय से नामित नहीं करेगा, वह मात्र कथित घटना कारित करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध ही कथन करेगा। चोटहिल साक्षी की साक्ष्य पर विश्वास किया जाना चाहिये तथा उसके बयान में यदि कोई सुक्ष्म विरोधाभास/विसंगति दर्शित होता भी है तो उसके सम्पूर्ण साक्ष्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।

40— माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **बालू सुदाम खाल्दे बनाम राज्य महाराष्ट्र एआईआर 2023 एससी 1736** में अवधारित किया गया है कि गवाह से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि उसके पास किसी घटना के प्रत्येक और हर विवरण को याद रखने के लिये फोटोग्राफिक स्मृति हो। प्रत्यक्षदर्शी/चोटहिल साक्षी के साक्ष्य का मूल्याकंन करते समय यह ध्यान रखना चाहिये कि घटना की कभी पहले से आशंका नहीं होती है और इसलिये एक साक्षी आम तौर पर घटनाओं से अभिभूत हो जाता है। साक्षी के बयान में घटना के कम में यदि कुछ विरोधाभास थे, तो विरोधाभासों की नगण्य प्रकृति को को देखते हुये उसके साक्ष्य पर अविश्वास नहीं किया जा सकता।

41— माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **अब्दुल सईद बनाम राज्य मध्य प्रदेश (2010) 10एससीसी 259** में अवधारित किया गया है कि—घटना के दौरान स्वयं घायल हुये साक्षी के साक्ष्य को विश्वसनीय माना जाता है क्योंकि वह एक ऐसा साक्षी है जिसके पास अपराध स्थल पर उसकी उपस्थिति अर्न्तनिहित गारंटी होती है और यह सम्भावना नहीं है कि वह वास्तविक हमलावर को छोड़ देगा।

42— उपरोक्त तर्क के आलोक में पत्रावली का अवलोकन किये जाने पर यह प्रमाणित है कि वादी मुकदमा ही कथित घटना का चोटहिल है और उसके शरीर पर दो चोटें जिसमें एक सिर पर तथा दूसरी हाथ पर हैं। वादी के शरीर पर आयी चोटों का उल्लेख

वादी द्वारा अपनी तहरीर में किया गया है जिसकी पुष्टि चिकित्सीय प्रपत्र व चिकित्सकगण के साक्ष्य से होती है।

43— पत्रावली पर उपलब्ध केसडायरी के अवलोकन से यह परिलक्षित हो रहा है कि विवेचक द्वारा दौरान विवेचना स्वतन्त्र साक्षी मुन्ना जायसवाल, रामबहाल लोधी का बयान दर्ज किया गया है जिनके द्वारा कहा गया है कि मोनू व परवेश तेजी से आये और वादी को गाली देने लगे तथा जान से मारने की नियत से उस पर हमला कर दिया, वादी के सिर से खून बहने लगा, सुभाष के हाथ की नस कट गयी। यद्यपि कि उक्त साक्षीगण का बयान विवेचक के समक्ष हुआ है और उक्त साक्षीगण को न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं कराया गया है अतः विवेचक को दिये गये साक्ष्य की ग्राह्यता नहीं है परन्तु धारा 161दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत दर्ज किये गये बयान का परीक्षण, कथित घटना घटित होने के समर्थन या असमर्थन में देखा जाना चाहिये। विवेचक को दिये गये बयान में साक्षीगण ने कथित घटना स्थल, उपहति कारित करने का शस्त्र, चोटहिल की चोटों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है, और उक्त साक्ष्य से कथित घटना कारित होना प्रमाणित हो रहा है।

43— यहां यह तथ्य उल्लेखनीय है कि चोटहिल के सिर का सीटी स्कैन व हाथ का एक्सरे हुआ जिसमें कोई असामान्यता नहीं पायी गयी है। परन्तु अभियुक्तगण के द्वारा जो उपहति कारित की गयी उससे चोटहिल/वादी के सिर पर चोट आयी और उसमें 07 टांके लगे हैं। मनुष्य का सिर मर्मस्थल की श्रेणी में आता है, अभियुक्तगण के जान लेवा हमले से वादी/चोटहिल की जान जा सकती थी परन्तु कथित घटनास्थल होटल होने के कारण, वहां उपस्थित लोगों द्वारा बीच बचाव कराये जाने पर अभियुक्तगण जान से मारने की धमकी देते हुये चले गये। उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्तगण का आशय वादी को उपहति कारित कर जान से मारने का था।

44— अभियोजन साक्ष्य से अभियोजन कथानक प्रमाणित है कि कथित घटनास्थल पर, कथित तिथि व समय पर अभियुक्तगण मोनू व परवेश द्वारा गालियां देते हुये वादी मुकदमा सुभाष चन्द को मिठाई बनाने वाली करछुल व लाठी से उपहति कारित किया गया जिससे

वादी के सिर व हाथ में चोट आयीं और उन पर क्रमशः 07 व 04 टांके लगे। घटनास्थल पर उपस्थित लोगों के बीच बचाव पर अभियुक्तगण द्वारा वादी को जान से मारने की धमकी दी गयी। अभियुक्तगण द्वारा कुंदालय, जिसमें लाठी व मिठाई बनाने वाली लोहे की कलछुल से उपहति कारित किया गया है जिसकी पुष्टि चिकित्सक की साक्ष्य से होता है जिनके द्वारा चोटों के किनारे को कटे हुये, अनियमित बताया गया है जिसकी गहराई का भी उल्लेख किया गया है। चोटहिल की किसी चोट को साफ कटा हुआ या नियमित क्लीन कट नहीं बताया गया है और न ही चोटहिल के हाथ के फ्रेक्चर में कोई अनियमितता पायी गयी है।

45— जहां तक धारा 504, 506 भा0दं0सं0 के अपराध का सम्बन्ध है पी0डब्लू0—1 वादी मुकदमा परीक्षित हुये हैं जिन्होनें अभियुक्तगण को गाली देते हुये उपहति कारित करना बताया है। इस सम्बन्ध में विचार किया जाये कि क्या मारपीट के समय अपशब्दों का प्रयोग अभियुक्तगण द्वारा किया गया होगा अथवा नहीं, यद्यपि कि यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्तगण ने वरवक्त मारपीट किन किन अपशब्दों का उपयोग किया जो कि गाली के शब्दों की श्रेणी में आता हो परन्तु गाली के शब्दों का उच्चारण न्यायालय के समक्ष करना इस लिये भी स्वाभाविक नहीं है क्योंकि साक्षीगण हमेशा न्यायालय के सम्मान को सुरक्षित रखते हुये, अपशब्दों के उन शब्दों का उच्चारण साफ तौर न्यायालय के समक्ष व्यक्त नहीं करता जो मारपीट के समय किया गया। अतः ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि मारपीट के पूर्व गाली गुप्ता या अपशब्दों का इस्तेमाल मुल्जिमान द्वारा नहीं किया गया हो या जान से मारने की धमकी न दी गयी हो। अतः न्यायालय के विचार में धारा 504, 506 भा0दं0सं0 का मामला अभियुक्तगण के विरूद्ध साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित है।

46— उपरोक्त समग्र विवेचना व माननीय न्यायालयों द्वारा पारित विधि व्यवस्था के आलोक में न्यायालय का मत है कि अभियोजन पक्ष अपना अभियोजन कथानक अभियुक्त के विरूद्ध पूर्णतया सन्देह से परे साबित करने में सफल रहा है। उपलब्ध अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 323 / 34, 307 / 34, 504,

506 भा0दं0सं0 का अपराध प्रमाणित है, और अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किये जाने का पर्याप्त आधार है।

<u>आदेश</u>

(ए) अभियुक्त परवेश लोध व मोनू को धारा 323/34, 307/34, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता के आरोपों में दोषसिद्ध किया जाता है।

(बी) अभियुक्तगण न्यायालय में उपस्थित है उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाये।

(सी) अभियुक्तगण जमानत पर है। अभियुक्तगण के जमानत प्रपत्र निरस्त कर प्रतिभूगण को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

(डी) पत्रावली दण्ड के विन्दु पर सुनवायी हेतु दिनांक 06.06.2026 को पेश हो।

(प्रतिमा श्रीवास्तव)
दिनांक 05.06.2026
सत्र न्यायाधीश,
बाराबंकी
J.O.Code 1899

<u>06.06.2026</u>

पत्रावली पेश हुयी।

अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार से उपस्थित है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व प्रभारी शासकीय अधिवक्ता (फौ0) को दण्ड के विन्दु पर सुना गया।

अभियुक्त की ओर से तर्क किया गया कि उसका यह प्रथम अपराध है पूर्व का दोषी नहीं है। उक्त आधार पर अभियुक्त को कम से कम दण्ड दिये जाने की याचना की गयी।

अभियोजन की ओर से तर्क किया गया कि अभियुक्तगण द्वारा रंजिश के आधार पर वादी मुकदमा/चोटहिल को मिठाई बनाने वाली कलछुल व लाठी से सिर व हाथ पर मारकर गम्भीर चोट पहुंचायी गयी है। अभियुक्तगण के उक्त उपहति कारित करने से अभियुक्त कोमा में जा सकता था और उसकी मृत्यु सम्भाव्य थी। अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अभियुक्तगण को कठोर से कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने की याचना की गयी।

मामले के समस्त तथ्यों परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये न्यायालय के मत में अभियुक्त को निम्न दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित होगा।

<u>आदेश</u>

(A) अभियुक्त परवेश लोध व मोनू को धारा 323/34, भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में दोषसिद्ध करते हुये 06–06 माह **(छः छः माह)** के कारावास के दण्ड तथा रूपये 1,000/–1,000/–**(रूपये एक एक हजार मात्र)** के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की धनराशि अदा न किये जाने पर अभियुक्तगण को 10–10 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

(B) अभियुक्त परवेश लोध व मोनू को धारा 307/34, भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में दोषसिद्ध करते हुये 07–07 वर्ष (**सात–सात वर्ष**) के कारावास के दण्ड तथा रूपये 10,000/–10,000/–(रूपये दस दस हजार मात्र) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की धनराशि अदा न किये जाने पर अभियुक्तगण को 15–15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

(C) अभियुक्त परवेश लोध व मोनू को धारा 504 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में दोषसिद्ध करते हुये 01–01 **वर्ष (एक–एक वर्ष)** के कारावास के दण्ड तथा रूपये 1,000/–1,000/–**(रूपये एक एक हजार मात्र)** के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की धनराशि अदा न किये जाने पर अभियुक्तगण को 10–10 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

(D) अभियुक्त परवेश लोध व मोनू को धारा 506 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में दोषसिद्ध करते हुये 01–01 वर्ष **(एक–एक वर्ष)** के कारावास के दण्ड तथा रूपये 1,000/–1,000/–**(रूपये एक एक हजार मात्र)** के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की धनराशि अदा न किये जाने

पर अभियुक्तगण को 10—10 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

(E) अभियुक्तगण द्वारा इस प्रकरण में जेल में बितायी गयी अवधि पारित सजावधि में समायोजित की जायेगी।

(F) अभियुक्तगण का तद्नुसार सजा वारंट तैयार कर अभियुक्तगण को जिला कारागार, बाराबंकी भेजा जाये।

(G) अभियुक्तगण पर अधिरोपित अर्थदण्ड की धनराशि में से 1/2 अंश वादी मुकदमा/चोटहिल को प्रतिपूर्ति के रूप में, अपील अवधि उपरांत प्रदत्त की जायेगी।

अभियुक्त को निर्णय की एक एक प्रति निःशुल्क प्रदान की जाये।

(प्रतिमा श्रीवास्तव)
दिनांक 06.06.2026 सत्र न्यायाधीश,
बाराबंकी
J.O.Code 1899

उक्त निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित कर सुनाया गया।

(प्रतिमा श्रीवास्तव)
दिनांक 06.06.2026 सत्र न्यायाधीश,
बाराबंकी
J.O.Code 1899